कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3 / 2016 / 3946 लखनऊःदिनांकः 29 **दिसम्बर 2016**

सी0पी0ए0टी0 2016 के अन्तर्गत विस्तारित द्वितीय मॉपअप राउण्ड के आयोजन के संबंध में अति आवश्यक सूचना

शासनादेश संख्या–4618 / 71–आयुष–1–2016–516 / 2016 दिनांक 29 दिसम्बर 2016 में निहित निर्देशों के अनुपालन में सी0पी0ए0टी0 2016 के विस्तारित मॉपअप राउण्ड आवंटन के पश्चात रिक्त सीटों पर विस्तारित द्वितीय मॉप अप राउण्ड के माध्यम से आवंटन की कार्यवाही के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैः–

आवंटन स्थल	पंजीकरण	सीट आवंटन	आमंत्रित अभ्यर्थी
टेलीमेडिसिन सेन्टर, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ	दिनांक 30 दिसम्बर 2016 (दिन शुक्रवार) समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक दिनांक 31 दिसम्बर 2016 (दिन शनिवार) समय प्रातः 10:00 से मध्यान्ह 12:00 बजे तक	दिनांक 31 दिसम्बर 2016 (दिन शनिवार) मध्यान्हः 12:00 बजे के पश्चात	सी0पी0ए0टी0 2016 की परीक्षा में सम्मिलित समस्त इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थी।

विशेष सूचना– इस विशेष आवंटन हेतु शासकीय क्षेत्र की कोई सीट रिक्त नहीं है। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेजों में आवंटन हेतु सीटें उपलब्ध हैं। आवंटन की तिथि तक सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

- विस्तारित विशेष आवंटन (Extended 2nd MOP UP ROUND) हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगे–

  1 सी0पी0ए0टी0 2016 की परीक्षा में सम्मिलित ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

  2 सी0पी0ए0टी0 2016 की पूर्व काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित ऐसे अभ्यर्थी, जो पाठ्यक्रम (विधा) परिवर्तन करना चाहते है, उन्हे सम्बन्धित कालेजों से त्यागपत्र देते हुये मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना होगा।

  3 **विस्तारित द्वितीय मॉपअप राउण्ड आवंटन (Extended 2nd MOP UP ROUND) में अभ्यर्थियों को समान पाठ्यक्रम में कालेज का परिवर्तन / पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा।**

- इस आवंटन में कोई पुनरावंटन (Reshuffeling) अनुमन्य नही होगा। **विस्तारित द्वितीय मॉपअप राउण्ड आवंटन (Extended 2nd MOP UP ROUND)** हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अर्ह नही होंगे–

  1 सी0पी0ए0टी0 2016 के माध्यम से प्रवेषित छात्र।

  2 **विस्तारित द्वितीय मॉपअप राउण्ड आवंटन (Extended 2nd MOP UP ROUND)** में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

- इस सम्बन्ध में छात्रों द्वारा विशेष ध्यान रखा जाय कि क्योकि यह प्रक्रिया विशेष आवंटन की है तथा काउन्सिलिंग की नही। अतः इस प्रकार से जिन छात्रों द्वारा त्याग पत्र दिया गया है, उन्हें पुनः अपने मूल सीट पर प्रवेश उपलब्ध नही होगा।

- **विस्तारित द्वितीय मॉपअप राउण्ड आवंटन (Extended 2nd MOP UP ROUND)** के माध्यम से आवंटित सीटों पर प्रवेष प्रक्रिया आवंटन स्थल (**टेलीमेडिसिन केन्द्र, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ**) पर ही सम्पन्न करायी जानी है, अतः अभ्यर्थियों को निर्देषित किया जाता है कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ उपस्थित होना सुनिष्चित करें ताकि आवंटन स्थल पर ही प्रवेष सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

- काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– (रूपये पॉच सौ मात्र) तथा निजी क्षेत्र के कालेजों हेतु सिक्योरिटी धनराशि रू0 20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है, जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश के नाम से लखनऊ में देय हो।
- ऐसे छात्र, जिनके द्वारा सिक्योरिटी धनराशि रू0 20,000/– पूर्व की काउंसिलिंग में जमा किया जा चुका है, तथा उन्हे कोई भी आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हे सिक्योरिटी धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु काउंसिलिंग शुल्क रू0 500/– देय होगा।
- ऐसे छात्र, जिन्हे सी0पी0ए0टी0 2016 के माध्यम से आवंटन प्राप्त हुआ है, किन्तु उनके द्वारा संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त नहीं किया है/प्रवेशोपरान्त त्यागपत्र दे दिया है, उन्हे सिक्योरिटी धनराशि रू0 20,000/– जमा किया जाना अनिवार्य है।
- अद्यावधिक जानकारी हेतु कृपया वेबसाईट www.updgme.in का अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

महानिदेशक